प्रारूप अनुमोदनार्थ

पुलिस [illegible] संख्या [illegible] /91

विषय:- बिहार [illegible] पुलिस तथा अश्वारोही सैन्य पुलिस हेतु बर्तन-बासन की खरीद एवं आपूर्ति के संबंध में ।

पुलिस हस्तक नियम खण्ड-3 परिशिष्ट-65 के आलोक में बिहार सशस्त्र तथा अश्वारोही सैन्य पुलिस के प्रत्येक हवलदार एवं आरक्षी को एक पीतल की थाली एवं एक पीतल का लोटा अनिश्चित काल के लिए देय है । पु० [illegible] आरक्षी [illegible] 1-2050/87 [illegible] दिनांक 28-9-88 के निदेशानुसार पीतल की थाली एवं लोटा के [illegible] स्टेनलेस स्टील की एक थाली तथा एक लोटा आपूर्ति करना [illegible] पाया गया । अतः यह निर्णय लिया गया है कि पीतल की थाली एवं लोटा के स्थान पर स्टेनलेस स्टील की थाली एवं स्टेनलेस स्टील का लोटा जवानों को आपूर्ति की जाय जिसका मापदंड निम्नरूपेण होगा :-

(1)(क) स्टेनलेस स्टील थाली का व्यास $11\frac{1}{2}$" एवं किनारा $1\frac{1}{4}$" का होगा जो 22 गेज स्टील की बनी होगी जिसका अधिकतम वजन 600 ग्राम होगा । [illegible]

(ख) [illegible] लोटा एक लीटर पानी रखने की क्षमता वाला [illegible]

(ग) [illegible] थाली एवं लोटा का क्रय "सामग्री एवं पूर्तियाँ शीर्ष" के अन्तर्गत किया [illegible]

(2) [illegible] सशस्त्र पुलिस एवं अश्वारोही सैन्य पुलिस के जवानों के लिए सामूहिक मेस के [illegible] का निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किया जाता है :-

(क) प्लाटून स्तर :- एक प्लाटून में निम्नलिखित बासन-बर्तन रहेंगे जो केवल प्लाटून स्तर पर सामूहिक मेस के लिए उपयोग किये जायेंगे :-

1. अल्युमिनियम डेगची ढक्कन सहित (20" व्यास [illegible] वजन 7.5 किलो० ± 10%)	–	दो अदद
2. लोहे की कड़ाही [illegible] (व्यास 22")	–	एक अदद
3. लोहे का [illegible] (व्यास 24")	–	एक अदद
4. अल्युमिनियम [illegible] (व्यास 24", [illegible] किलो० ± 10%)	–	एक अदद

(क्रमशः------2)

5. लोहे की छोलनी - एक अदद
   (36" लम्बा [illegible] 5" [illegible])

6. लोहे का कलछुल - एक अदद
   (18" लम्बा, कप का [illegible] 5")

(ख) सेवशन स्तर पर :- [illegible] के और सेवशन में प्रत्येक के लिए [illegible] निम्नलिखित मापदण्ड होंगे । इन वर्तनों [illegible] स्तर पर [illegible] सेवशन को प्रतिनियुक्ति की अवस्था में वर्तन इन्हें मुहैया कराये जायेंगे ।

1. अल्युमिनियम देगची [illegible] - एक अदद
   (18" व्यास, 10" [illegible], वजन 5 से 5 कि.ग्रा. + 10%)

2. अल्युमिनियम देगची [illegible] सहित - एक अदद
   (14" व्यास 6" [illegible] वजन 2 कि.50ग्राम +- 10%)

3. लोहे की कढ़ाही हैन्डल सहित - एक अदद
   (15" व्यास)

4. लोहे का [illegible] हैन्डल सहित - एक अदद
   (12" व्यास)

5. जी०आई०बाल्टी - एक अदद
   (14" व्यास)

6. अल्युमिनियम का हैन्डल सहित - एक अदद
   (6" व्यास, [illegible] गहराई, [illegible] 275 ग्राम + 10%)

7. लोहे की छोलनी - एक अदद
   (18" लम्बा, [illegible])

8. लोहे का करछुल - एक अदद
   (16" लम्बा [illegible] 5")

9. झंझरा हैन्डल सहित [illegible] - एक अदद
   (15" लम्बा, व्यास 5")

10. लोहे का चिमटा - एक अदद
    (15" लम्बा [illegible])

11. लोहे का फहसुल - एक अदद
    (18" लम्बा [illegible] पर
    10" लम्बा लोहे का [illegible])

12. लकड़ी का [illegible] - एक अदद
    (10" व्यास [illegible] होगी)

13. लकड़ी का बेलना - एक अदद
    (1[illegible]" लम्बा)

14. पत्थर का [illegible] - एक अदद
    ([illegible] होगा
    जिसकी लम्बाई 10", चौड़ाई 10" मोटाई 3"
    होगी- माप में [illegible] की छूट)

15. पत्थर का लोढ़ा
 (मेटा मोरिपिक पत्थर का बना हुआ) एक अदद।
 10" लम्बा, 3" चौड़ा, " मोटा होगा
 माप में +-10% की छूट ।

(ग) सामूहिक मेस के बर्तनों का क्रय "अन्य प्रभार शीर्ष" के अन्तर्गत किया जायगा ।

3- उक्त मानक के आधार पर समादेष्टा बर्तनों की अपनी न्यूनतम आवश्यकता प्रति वर्ष पुलिस हस्तक नियम 1077 के तहत पुलिस हस्तक प्रपत्र सं0 158 में महानिदेशक-आरक्षी महानिरीक्षक को भेजेंगे । बासन-बर्तनों के क्रय हेतु निविदा पुलिस हस्तक नियम 1076(ए) के अनुसार आमंत्रित की जायगी । पुलिस हस्तक नियम 1076(बी) के तहत गठित केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा बर्तनों के नमूने, दर एवं फर्म निर्धारित की जायगी । बासन अन्य मदों की तरह केन्द्रीकृत रूप से क्रय की जायगी तथा क्रयोपरान्त संबंधित वाहिनी को आवंटित किया जायगा ।

4- बासन बर्तनों का क्रय निधि की उपलब्धता के आधार पर की जायगी । केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा फर्म एवं दर निर्धारण के बाद स0म0नि0(क्यू0) बर्तनों के क्रय पर होने वाले प्राक्कलित व्यय की राशि की उपलब्धता के संबंध में स0म0नि0(प्रशासन) से संपुष्टि कराने के बाद ही संबंधित फर्म को क्रयादेश निर्गत करेंगे ।

5- पुलिस आदेशांक 214/1989 एवं 216/90 जो क्रमशः ज्ञापांक 1732/एस0 दिनांक 4-5-89 एवं 454/सै0पु0 दिनांक 2-3-90 द्वारा निर्गत हुए हैं, को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 231/एस0
 ..-1-91
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय, बिहार ।
पटना, दिनांक 24 जनवरी, 91.

प्रतिलिपि:-

1- आरक्षी महानिरीक्षक, सशस्त्र बल/ प्रोविजन्स, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

2- सभी आरक्षी उप-महानिरीक्षक, सशस्त्रबल/ सभी समादेष्टा, बि0सै0पु0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

3- आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक(प्रशासन)/(क्यू0) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

4- प्रभारी पदाधिकारी, पी-1 प्रशाखा, महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय, बिहार, पटना को राजपत्र में प्रकाशन हेतु आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।

रा0/22191

AUGUST 10 Monday

NOVEMBER 10 Tuesday